

तुकेश सिंह व अन्य

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

(दाण्डिक अपील क्रमांक 1157/2011)

14 मई 2025

[अभय एस ओका, * पंकज मित्थल एवं अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायाधिपतिगण]

विचारार्थ विवाद्यक

चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा न्यायालय में अभियुक्तों की पहचान करने में असफल होने से अभियोजन के प्रकरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में विवाद्यक प्रोद्भूत हुआ।

शीर्ष टिप्पण

साक्षी-चक्षुदर्शी साक्षी-चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा न्यायालय में अभियुक्तों की पहचान करने में असफल होना- अभियोजन के प्रकरण पर प्रभाव- अभियोजन का प्रकरण कि अभियुक्तों ने समान आशय से, घातक हथियारों से लैस होकर, दो व्यक्तियों की हत्या कारित कर दी और अन्य व्यक्तियों जो अब आहत साक्षी हैं की हत्या कारित करने का प्रयत्न किया- विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को धारा 147, 148, 307, सहपठित धारा 149 और धारा 302 सहपठित धारा 149 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध व दण्डित किया-उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा - शुद्धता:

अभिनिर्धारित: ऐसे प्रकरण में जहाँ चक्षुदर्शी साक्षी घटना से पूर्व अभियुक्त को जानता था। चक्षुदर्शी साक्षियों को कटघरे में बैठे अभियुक्त की पहचान उसी अभियुक्त के रूप में करनी होगी जिसे उन्होंने अपराध कारित करते देखा था-ऐसे प्रकरण में जहाँ चक्षुदर्शी साक्षी घटना से पूर्व अभियुक्त को नहीं जानता था, पहचान कार्यवाही करवाना आवश्यक होता है -यदि यह नहीं करवाया जाता है और यदि चक्षुदर्शी साक्षी का साक्ष्य कुछ वर्षों के बाद लेखबद्ध किया जाता है, तो न्यायालय में चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा ऐसे अभियुक्त की पहचान भेद्य हो जाती है-न्यायालय में बैठे अभियुक्त की चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा पहचान अति महत्वपूर्ण है-जब तक चक्षुदर्शी साक्षियों ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों को पहचान न लिया हो, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि चक्षुदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का अपराध साबित हो गया है-चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा न्यायालय में अभियुक्त

की पहचान उस अभियुक्त के रूप में करने में असफल होना, जिसे उन्होंने अपराध कारित करते देखा था, अभियोजन के प्रकरण के लिए नुकसानदायक है-चक्षुदर्शी साक्षियों से प्रतिपरीक्षण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण लोप अभिलेख पर लाया गया है-चक्षुदर्शी साक्षियों के कथन भिन्न है-अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ है- आक्षेपित निर्णय अभिखण्डित एवं अपास्त- दण्ड संहिता, 1860-धाराएँ 147,148,149,302,307 [कण्डिकाएँ 21-26]

उद्धृत निर्णय विधि

सुधीर व अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य [2001] 1 एससीआर 813 : (2001) 2 एससीसी 688; कुलदीप यादव व अन्य विरुद्ध बिहार राज्य [2011] 5 एससीआर 186 : (2011) 5 एससीसी 324; नंद लाल व अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य [2023] 2 एससीआर 276 : (2023) 10 एससीसी 470 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दण्ड संहिता, 1860 ; दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973

मुख्य शब्दों की सूची

हत्या;समान आशय; आहत चक्षुदर्शी साक्षियों; घातक हथियारों; पहचान कार्यवाही;विशेष रूप से पहचाना गया अभियुक्त; चक्षुदर्शी साक्षी अभियुक्त को घटना से पूर्व जानता था;खुले न्यायालय में अभियुक्त की पहचान;महत्वपूर्ण लोप।

प्रकरण प्रोद्भूत

दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता: दाण्डिक अपील क्रमांक 1157/2011
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर के दाण्डिक अपील क्रमांक 454/2003 में दिनांक 10.09.2010 को निर्णय एवं आदेश से सहित
दाण्डिक अपील क्रमांक 1608/2011 एवं दाण्डिक अपील क्रमांक 1713/2012

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण :
सिद्धार्थ लूथरा, राजेश पाण्डेय, वरिष्ठ अधिवक्ता, महेश पाण्डेय, मिहिर जोशी, सुश्री निशि प्रभा सिंह, चंद्रिका प्रसाद मिश्रा, सुश्री प्रशस्ति सिंह, सुश्री मृदुला राय भारद्वाज, सुश्री स्वाति सुरभि,

महेश पाण्डेय, मिहिर जोशी, सुश्री निशी प्रभा सिंह, चंद्रिका प्रसाद मिश्रा, सुश्री प्रशस्ति सिंह, सुश्री मृदुला राय भारद्वाज, सुश्री स्वाति सुरभि, समीर श्रीवास्तव, सुश्री याशिका वाष्णेय, सुश्री पलक माथुर, श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण :

प्रणीत प्रणव, डी.ए.जी., विनायक शर्मा, सुश्री कृतिका यादव, रविंदर कुमार यादव, पी. अमृत

उच्चतम न्यायालय का आदेश/निर्णय

निर्णय

अभय एस ओका, न्यायाधिपति

तथ्यात्मक पहलू

1. ये अपीलें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 10 सितंबर 2010 के निर्णय को आक्षेप करती हैं। कुल नौ अभियुक्तों पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'भा.द.सं.') की धारा 147, 148, 307 सपठित धारा 149 और धारा 302 सपठित धारा 149 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए विचारण चलाया गया था। विचारण न्यायालय ने उन्हें उपरोक्त धाराओं के अधीन सिद्धदोष किया। भा.द.सं. की धारा 302 सपठित धारा 149 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए, आजीवन कारावास का दण्ड अधिरोपित किया गया। वर्तमान अपीलार्थीगण अभियुक्त क्रमांक 1 से 8 हैं। उन्होंने और अभियुक्त क्रमांक 9 (रमेश सिंह) ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की।

2. मस्तूरी नामक स्थान के निवासी काशीराम राठौर ने किसी गणपत सिंह से एक निश्चित राशि ऋण पर ली थी। चूंकि वह ऋण नहीं चुका सका, उसने अपनी दुकान और उसके सटी हुई भूमि गणपत सिंह को दे दी। जिसने, बदले में दुकान अपने रिश्तेदार राजेंद्र सिंह (अ.सा.-11) को दे दी और उसके द्वारा एक मेडिकल स्टोर खोल लिया गया। व्यवसाय प्रारंभ करने के उपरांत, अ.सा.-11 ने काशीराम से विक्रय विलेख द्वारा दुकान और सटी हुई रिक्त भूमि क्रय कर ली।

3. अभियोजन का प्रकरण यह है कि 23 मार्च 2001 को, अभियुक्त, समान आशय से, तलवार, डंडा, चाकू, कुदाली, डंडा आदि घातक हथियारों से लैस होकर, विवादित दुकान पर गए और

मनराखन सिंह और नारायण सिंह की हत्या कर दी और अ.सा.-1 (शिवराज सिंह), अ.सा.-3 (वीरेंद्र सिंह), अ.सा.-4 (जुड़ावन सिंह), अ.सा.-5 (विशेश्वर सिंह ठाकुर) और अ.सा.-8 (राकेश सिंह ठाकुर) की हत्या करने का प्रयत्न किया। ये आहत चक्षुदर्शी साक्षी हैं। अ.सा.-8 की निशानदेही पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पंजीबद्ध कराया गया। पुलिस ने दावा किया कि प्रथम अपीलार्थी (तुकेश सिंह-अभियुक्त क्रमांक 1) से एक तलवार बरामद की गई थी। एक और तलवार कथित तौर पर तीसरे अपीलार्थी (बाबा उर्फ राजेश सिंह- अभियुक्त क्रमांक 3) की निशानदेही पर बरामद की गई थी। अभियुक्त क्रमांक 7 (मंगल दास) की निशानदेही पर कथित तौर पर रक्त रंजित एक खंजर की प्रकृति का हथियार बरामद किया गया। दूसरे अपीलार्थी (बसंत सिंह-अभियुक्त क्रमांक 2) से कथित तौर पर एक तलवार बरामद की गई। चौथे अपीलार्थी (पप्पू सिंह-अभियुक्त क्रमांक 6) की निशानदेही पर कथित तौर पर एक रक्त रंजित डंडा बरामद किया गया। अभियुक्त क्रमांक 4 (अनिल सिंह)की निशानदेही पर एक लकड़ी का पाटा तथा अभियुक्त क्रमांक 5 (विष्णु सिंह) की निशानदेही पर एक छड़ बरामद किया गया।

निवेदन

4. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमें अभिलेख में प्रस्तुत साक्ष्यों और अन्य दस्तावेजों के नोट्स का अवलोकन कराया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क किया कि एक जवाबी प्रकरण था जिसमें अभियोजन साक्षियों व अन्य व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। तुकेश सिंह(अपीलार्थी)ने दिनांक 24.03.2001 को अपराह्न 03:00 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक-49/2001 प्रस्तुत की थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज जवाबी प्रकरण (दाण्डिक अपील क्रमांक 79/2001) की सुनवाई इन अपीलों के प्रकरण सहित की जानी चाहिए थी। अतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तों के प्रति पक्षपात किया गया है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया: **सुधीर व अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य¹**, **कुलदीप यादव व अन्य विरुद्ध बिहार राज्य²** तथा **नंद लाल व अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य³** उन्होंने तर्क किया कि अभियुक्त को भी चोटें आईं, जिनका अभियोजन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने व्यक्त किया कि शिकायतकर्ता पक्ष ही हमलावर था, जैसा कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में साढ़े पाँच घंटे का विलम्ब हुआ। दो पुलिस आरक्षक घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुँचे। इसके अतिरिक्त, पुलिस थाने दो से तीन फर्लांग की दूरी पर था। अ.सा.-4 (जुड़ावन सिंह) और अ.सा.-11 (राजेंद्र सिंह) के कथन दर्ज करने में विलम्ब हुआ। उन्होंने इंगित किया कि अ.सा.-13 (दिलीप सिंह), अ.सा.-14 (शिव कुमार दुबे) और अ.सा.-15 (ईश्वरी श्रीवास) स्वतंत्र साक्षी थे, जिन्होंने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।

1 (2001) 2 SCC 688

2 (2011) 5 SCC 324

3 (2023) 10 SCC 470

5. उन्होंने तर्क किया कि घटना के विषय में चक्षुदर्शी साक्षियों अ.सा.-1, अ.सा.-3, अ.सा.-4, अ.सा. 5 और अ.सा.-8 द्वारा किए गए कथनों में कई महत्वपूर्ण विवरण भिन्न हैं। उन्होंने तर्क किया कि साक्षियों द्वारा किए गए कथन अभियुक्त की संलिप्तता के विषय में अभियोजन के प्रकरण को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने इंगित किया कि चक्षुदर्शी साक्षी एक-दूसरे और मृतक के रिश्तेदार हैं। अतः वे हितबद्ध साक्षी थे। परंतु, तीन स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने इंगित किया कि अभियोजन साक्षियों के कथनों से संकेत मिलता है कि चूंकि घटना बाजार क्षेत्र में हुई थी स्वतंत्र साक्षी वृहद क्रमांक में उपस्थित थे। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क किया कि बचाव पक्ष की साक्षी डॉ. श्रीमती सुभद्रा पैकरा (ब.सा.-1) के साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि अभियुक्त क्रमांक 9(रमेश सिंह) 23 मार्च 2001 से 24 मार्च 2001 तक अस्पताल में एक आहत रोगी था। उन्होंने कथन किया कि अभियुक्त क्रमांक 8 (तमेश सिंह) भी अभियुक्त क्रमांक 9 (रमेश सिंह) के साथ चिकित्सालय में था।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन का प्रकरण अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, और यह मानते हुए भी कि यह स्थापित हो गया है, अभियोजन के साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए, यह प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवादों में से एक के अंतर्गत आएगा। अतः अधिकतम, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के दूसरे भाग के अंतर्गत अपराध आकर्षित होगा। भुगते गए दण्ड को विचार में रखते हुए, अपीलार्थीगण/अभियुक्तों को भुगते गए दण्ड पर रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने इंगित किया कि इस न्यायालय द्वारा रिहा किए जाने से पूर्व अपीलार्थीगण 9 से 14 वर्ष तक का दण्ड भुगत चुके हैं।

7. प्रत्यर्थी- छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान डी.ए.जी. ने आक्षेपित निर्णयों का समर्थन किया है। उन्होंने तर्क किया कि चारों अभियुक्तों को लगी चोटें मामूली थीं। उन्होंने इंगित किया कि अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि शिकायतकर्ता पक्ष हमलावर था और उनमें से किसी ने भी अभियुक्तों पर हमला किया था। उन्होंने तर्क किया कि इस आधार पर अभियुक्तों के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है कि जवाबी प्रकरण का विचारण पृथक रूप से किया गया था। उन्होंने निवेदन किया कि आहत साक्षियों के अभिसाक्ष्य पर दोनों न्यायालयों ने उचित रूप से विश्वास किया है। उन्होंने तर्क किया कि चक्षुदर्शी साक्षियों में सामने आए साधारण विरोधाभास और लोप उनके साक्ष्य को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः उन्होंने तर्क किया कि दोनों न्यायालयों द्वारा अभिलिखित समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई प्रकरण नहीं बनता।

निवेदनों पर पर विचार

8.सर्वप्रथम, हम आहत साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करेंगे। अ.सा.-1 (शिवराज सिंह) अ.सा.-11 (राजेंद्र सिंह) के पिता हैं। मृतक नारायण सिंह अ.सा.-1 के ज्येष्ठ पुत्र थे। मृतक मनराखन सिंह अ.सा.-11 (राजेंद्र सिंह) के श्वसुर थे। अ.सा.-1 ने बताया कि घटना 24 मार्च 2001 को हुई थी, जो शनिवार का दिन था। उसने कथन किया कि उसे पिछले दिन की घटनाओं की जानकारी नहीं थी। उसने कथन किया कि वह अभियुक्त क्रमांक 1 (तुकेश सिंह), अभियुक्त क्रमांक 8 (तमेश सिंह), अभियुक्त क्रमांक 9 (रमेश सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 3 (बाबा उर्फ राजेश सिंह) को जानता था। उसने कथन किया कि ये अभियुक्त घटना के समय उपस्थित थे। उसने कथन किया कि वह शेष अभियुक्तों को नहीं जानता। उसने कथन किया कि उसे यह ज्ञात नहीं कि शेष अभियुक्त घटना में सम्मिलित थे या नहीं। उसने कथन किया कि 24 मार्च 2001 की सुबह 8 बजे, अ.सा.-11 (राजेंद्र सिंह) ने उन्हें घटना के बारे में बताया कि नौ-दस लड़के मेडिकल स्टोर के बगल वाले उनके घर में घुस आए। उन्होंने अ.सा.-11 (राजेंद्र सिंह) को गालियाँ देना शुरू कर दिया। उस समय, मृतक मनराखन सिंह ने हस्तक्षेप किया और लड़कों को रोकने का प्रयत्न किया। यद्यपि, उन्हें दुकान से बाहर जाने के लिए कहा गया। तत्पश्चात, अ.सा.-1, अ.सा.-11 के साथ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने गया और सर्वप्रथम मेडिकल स्टोर पहुँचा। उसने कथन किया कि उस समय, मृतक मनराखन सिंह अ.सा.-11 (राजेंद्र सिंह) की मेडिकल स्टोर में थे। अ.सा.-1 ने उनके पुत्रों से कहा कि वे पिछली रात की घटना के संबंध में पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराएँ। तदनुसार, अ.सा.-11, सुखनंदन सिंह और कन्हैया सिंह, पुलिस थाने के लिए खाना हुए। उसी समय, दूसरा मृतक, नारायण सिंह, दुकान की ओर आ रहा था। नौ-दस व्यक्ति दौड़ते हुए आए और नारायण सिंह को गालियाँ दीं। अभियुक्त क्रमांक 8 (तमेश सिंह) ने मृतक नारायण सिंह पर तलवार और लाठी से हमला किया। अभियुक्त क्रमांक 1 (तुकेश सिंह) ने मृतक नारायण सिंह के हाथों पर कुदाली से वार करके उन्हें आहत कर दिया। जब अ.सा.-1 ने सहायता मांगी, तो अ.सा.-3 (वीरेंद्र सिंह), उनका पुत्र, दुकान पर गया, तभी नौ-दस लड़कों ने उस पर कुदाली, तलवार और लाठियों से हमला करना शुरू कर दिया। साक्षी ने बताया कि अभियुक्त क्रमांक 9 (रमेश सिंह) ने उसकी दाहिनी कलाई और कंधे पर लाठी से हमला किया। उसने कथन किया कि वह होश में नहीं था। अतः उसने यह कथन नहीं किया कि अभियुक्त ने अ.सा.-8 (राकेश सिंह) पर हमला किया था। प्रतिपरीक्षण में, कई महत्वपूर्ण लोप अभिलेख पर लाया गया है। जो निम्नानुसार हैं:

(i) साक्षी ने स्वीकार किया कि यद्यपि अभियुक्त क्रमांक 9 (रमेश सिंह) ने मृतक मनराखन सिंह के सिर पर लाठी से हमला किया था, किंतु उसके पुलिस कथन में ऐसा उल्लेख नहीं है;

(ii) उसने स्वीकार किया कि यद्यपि उन्होंने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त क्रमांक 3 (बाबा) ने मृतक मनराखन सिंह पर हमला किया था, परंतु यह बात पुलिस कथन में नहीं पाई गई; तथा

(iii) यहाँ तक कि अभियुक्त क्रमांक 9 (रमेश सिंह) द्वारा उस पर कलाई, कंधे के पास और सिर पर लाठी से हमला करने का प्रकरण भी पुलिस रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया।

9. अ.सा.-1 ने कथन किया कि अपना कथन दर्ज कराते समय उसने पुलिस से कहा था कि वह कुछ अभियुक्तों की पहचान करेगा। यद्यपि, पुलिस ने पहचान नहीं कराई। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि उसने कथन किया, वह केवल चार अभियुक्तों को जानता था, उसे न्यायालय में उपस्थित किसी भी अभियुक्त की पहचान करने के लिए नहीं कहा गया था, और इसलिए, उसने यह साक्ष्य नहीं दिया कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त वही अभियुक्त थे जिन्हें उसने अपराध कारित करते देखा था।

10. अब हम अ.सा.-3 (वीरेंद्र सिंह), अ.सा.-1 (शिवराज सिंह) के पुत्र, के साक्ष्य पर आते हैं। साक्षी ने कथन किया कि वह अभियुक्त क्रमांक 1 (तुकेश सिंह), अभियुक्त क्रमांक 2 (बसंत सिंह), अभियुक्त क्रमांक 4 (अनिल सिंह), अभियुक्त क्रमांक 6 (पप्पू सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 7 (मंगल दास) को जानता था। उसने कथन किया कि अभियुक्त क्रमांक 1, 2, 4, 6 और 7 के अतिरिक्त, अन्य उसे नहीं जानते थे। उसने कथन किया कि वह शेष अभियुक्तों को उनके चेहरों से जानता था। अपने साक्ष्य के कण्डिका क्रमांक 4 से 7 में, अ.सा.-3 (वीरेंद्र सिंह) ने निम्नानुसार कथन किया:

“4. मस्तूरी के मेडिकल स्टोर में मेरे पिता शिवराज सिंह, भाई नारायण सिंह, सुखनंदन सिंह, भतीजा राकेश सिंह, रिश्तेदार लखन सिंह भी उपस्थित थे। हम दुकान में ही, काउंटर के पास बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी अचानक, 9-10 लोग तलवार, डंडा, छड़ और लाठी जैसे हथियारों से लैस होकर सड़क किनारे से आए और मारो-मारो कहते हुए नारायण सिंह पर सीधे हमला कर दिया। तमेश सिंह और तुकेश सिंह ने उन पर तलवार से हमला किया और जब नारायण सिंह चीखे, तो मैं उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। मंगलदास, पप्पू, अनिल, तमेश और तुकेश ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया।

5. मंगलदास ने मेरी नाक पर कुदाली से हमला किया, तमेश और तुकेश ने मेरे सिर पर तलवार से हमला किया, अनिल ने मेरी पीठ पर छड़ से हमला किया,

पप्पू ने तलवार से हमला किया, जिससे बाईं भों के पास और आँख के नीचे चेहरे पर चोट लगी (बाईं आँख)। उसी समय, मनराखन सिंह मुझे बचाने दौड़े, और फिर रमेश सिंह ने उनके सिर पर लाठी से हमला किया, उनके साथ उनके साथी बाबा ने भी तलवार से हमला किया। विष्णु और बसंत ने तलवार से हमला किया। विष्णु और बसंत ने मेरे पिता पर तलवार और लाठी से हमला किया। रमेश ने भी उन पर लाठी से हमला किया। उस समय, विश्वेश्वर सिंह और जुड़ावन सिंह बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी तुकेश सिंह, तमेश सिंह और उनके साथियों ने उन पर भी हमला कर दिया। उन्होंने राकेश सिंह पर भी हमला किया।

6. अभियुक्तों में से, बाबा की ओर इशारा करते हुए, साक्षी कथन करता है कि वह भी हमलावरों में से एक था, किंतु मैं उसका नाम नहीं जानता। मेरे शरीर रक्त रंजित था। रक्त बह रहा था, मेरी आँख के आसपास भी रक्त बह रहा था, इसलिए मैं आगे नहीं देख पा रहा था। मारपीट करने के बाद, अभियुक्त चला गया।

7. मेरे सिर पर तीन जगह चोटें आईं। नाक काट दी गई। मेरी पीठ पर छड़ से हमला किया गया। मेरे बाएँ हाथ की छोटी उंगली पर भी तलवार से चोट आई।”

अ.सा.-3 (वीरेंद्र सिंह) के साक्ष्य में, निम्नलिखित महत्वपूर्ण लोप अभिलेख पर लाया गया:

(i) अभियुक्त क्रमांक 1 (तुकेश सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 8 (तमेश सिंह) ने उसके भाई की गर्दन पर हमला किया और जब उसने आवाज़ लगाई और उसे बचाने के लिए दौड़ा, तो अभियुक्त क्रमांक 7 (मंगल दास) ने कुदाली से, अभियुक्त क्रमांक 6 (पप्पू सिंह) ने तलवार से और अभियुक्त क्रमांक 4 (अनिल सिंह) ने उस पर छड़ से हमला किया। अभियुक्त क्रमांक 6 (पप्पू सिंह) के हमले से उसकी बाईं भों और बाईं आँख के नीचे चोट लगी। अभियुक्त क्रमांक 1 (तुकेश सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 8 (तमेश सिंह) ने उसके सिर पर तलवार से हमला किया। अभियुक्त क्रमांक 9 (रमेश सिंह) ने मृतक मनराखन सिंह पर लाठी से हमला किया। साक्षी ने कथन किया कि वह कारण बताने में असमर्थ है कि ये तथ्य पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कथन में क्यों दर्ज नहीं किए गए हैं;

(ii) अभियुक्त क्रमांक 7 (मंगल दास) के हाथ में एक कुदाली थी, और अभियुक्त क्रमांक 6 (पप्पू सिंह) के हाथ में तलवार थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि यह बात उसके पुलिस कथन में दर्ज नहीं है;

(iii) अभियुक्त क्रमांक 6 (पप्पू सिंह) के हाथ में एक छड़ और एक डंडा था। इसका भी उसके पुलिस कथन में उल्लेख नहीं है; और

(iv) अभियुक्त क्रमांक 6 (पप्पू सिंह) ने उस पर लोहे की छड़ से हमला किया। अपने मुख्य परीक्षण में, अ.सा.- 3 ने बिना कोई विशिष्ट भूमिका बताए केवल यह कथन किया है कि:

“अभियुक्तों में से, मैं मंगल दास, पप्पू, अनिल, तुकेश और बसंत को जानता हूँ। शेष अभियुक्तों को मैं उनके चेहरों से जानता हूँ। अभियुक्तों में से, रमेश सिंह और तमेश सिंह आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं।”

उन्हें न्यायालय में उपस्थित किसी भी अभियुक्त की पहचान करने के लिए नहीं कहा गया था, और इसलिए, उन्होंने यह साक्ष्य नहीं दिया कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त वही अभियुक्त थे जिन्हें उन्होंने अपराध कारित करते हुए देखा था।

11. अ.सा. क्रमांक-3 (वीरेंद्र सिंह) ने कथन किया कि 24 मार्च 2001 की दोपहर को उसके पिता अ.सा. क्रमांक-1 (शिवराज सिंह), भाई मृतक नारायण सिंह, अ.सा. क्रमांक-8 (राकेश सिंह) और उनके रिश्तेदार लाखन सिंह मेडिकल की दुकान पर उपस्थित थे। उसी समय, नौ से दस व्यक्ति तलवार, कुदाली, छड़ और लाठी जैसे हथियारों से लैस होकर सड़क किनारे से आए और सभी को हमला करने के लिए बुलाते हुए मृतक नारायण सिंह पर हमला कर दिया। अभियुक्त क्रमांक-1 (तुकेश सिंह) और अभियुक्त क्रमांक-8 (तमेश सिंह) ने मृतक नारायण सिंह पर तलवार से हमला किया। जब साक्षी उसे बचाने के लिए दौड़ा, तो अभियुक्त क्रमांक-1, 4, 6, 7 और 8 ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अभियुक्त क्रमांक-7 (मंगलदास) ने उसकी नाक पर कुदाली से हमला किया। अभियुक्त क्रमांक-1 और 8 ने उसके सिर पर तलवार से हमला किया। उसने अपने ऊपर हुए हमले में अभियुक्त क्रमांक 4 (अनिल सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 6 (पप्पू सिंह) की भूमिका बताई है। इसके बाद, साक्षी ने कहा कि अभियुक्त क्रमांक 9 (रमेश सिंह) ने मृतक मनराखन सिंह के सिर पर लाठी से हमला किया। अभियुक्त क्रमांक 3 (बाबा उर्फ राजेश सिंह) ने मृतक मनराखन सिंह पर तलवार से हमला किया। यहाँ तक कि अभियुक्त क्रमांक 2 (बसंत सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 5 (विष्णु सिंह) ने भी मृतक मनराखन सिंह पर तलवार से हमला किया। साक्षी ने कथन किया कि

दोनों ने उसके पिता पर तलवार और लाठी से हमला किया। यह उल्लेखनीय है कि भले ही साक्षी के प्रकरण के अनुसार वह अभियुक्त को जानता था, फिर भी उसके लिए यह बताना महत्वपूर्ण था कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त वही अभियुक्त थे जिनकी भूमिकाएँ साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में बताई थीं। यद्यपि, उन्होंने न्यायालय में अभियुक्त की पहचान नहीं की, क्योंकि मुख्य परीक्षण में उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया था।

12. यहां तक कि उसके साक्ष्य में भी कुछ लोप हैं जो निम्नानुसार हैं:

(i) यद्यपि वह अभियुक्त क्रमांक 1 (तुकेश सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 4 (अनिल सिंह) को जानता था, उसने अपने पुलिस कथन में उनके नामों को प्रकट नहीं किया;

(ii) यह तथ्य कि अभियुक्त क्रमांक 1 (तुकेश सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 8 (तमेश सिंह) ने मृतक के सिर पर हमला किया और अभियुक्त क्रमांक 4 (अनिल सिंह) ने उसकी पीठ पर छड़ से हमला किया, उसके पुलिस कथन में उल्लेख नहीं किया गया है; तथा

(iii) अभियुक्त क्रमांक 2 (बसंत सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 5 (विष्णु सिंह) ने अ.सा.-1 (शिवराज सिंह) पर तलवार और लाठी से हमला किया। यह तथ्य उनके पुलिस कथन में व्यक्त नहीं किया गया था।

प्रतिपरीक्षण में, साक्षी ने स्वीकार किया कि 28 मार्च 2001 को उसने अपना सम्पूर्ण कथन नहीं किया था। उसने स्वीकार किया कि वह यह बताने में असमर्थ था कि उसने कितने दिवस उपरांत अपना शेष कथन किया था। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि उसका अगला कथन कब दर्ज किया गया। अभियोजन ने इसे अभिलेख में नहीं लाया है।

13. अब हम अ.सा.-4 (जुड़ावन सिंह) के साक्ष्य पर आते हैं। उसने कथन किया कि अ.सा.-11 (राजेंद्र सिंह) ने उसे 24 मार्च 2001 की रात लगभग 11 बजे बुलाया था। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और उसे बाहर ले जाने का प्रयत्न किया। कण्डिका 7 में, साक्षी ने निम्नानुसार कथन किया:

“7.

प्रथमतः, अभियुक्त तुकेश सिंह और तमेश सिंह ने नारायण सिंह पर हमला किया, फिर कहा, तलवार से हमला किया, उक्त हमला नारायण सिंह की गर्दन

पर लगा, उस समय जब दुकान के पास बैठा मनराखन सिंह बचाने के लिए उस तरफ दौड़ा, तो अभियुक्त रमेश सिंह ने उसके सिर पर लाठी से हमला किया और उसके बाद, उसकी पीठ से बाबा सिंह ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर हमला किया। वीरेंद्र सिंह उसे बचाने दौड़ा, तभी तमेश, तुकेश सिंह, पप्पू, मंगलदास और अनिल ने उस पर तलवार और छड़ से हमला करना शुरू कर दिया।

उसका कथन विलम्ब से 14 अप्रैल 2001 को, अर्थात् घटना के इक्कीस दिवस उपरांत दर्ज किया गया। यहाँ तक कि इस साक्षी ने भी न्यायालय में किसी भी अभियुक्त की पहचान नहीं की और न ही उनकी कोई विशेष भूमिका बताई। उसने सिर्फ इतना कथन किया कि वह न्यायालय में उपस्थित समस्त अभियुक्तों को जानता है, और उसने उनमें से दो के नाम भी लिए। यहाँ तक कि अ.सा.-4 (जुड़ावन सिंह) की प्रतिपरीक्षण में भी, महत्वपूर्ण लोप दर्ज किया गया।

14. उसके प्रतिपरीक्षण में निम्नानुसार महत्वपूर्ण लोप अभिलेख पर लाया गया:

- (i) अभियुक्त क्रमांक 9 (रमेश सिंह) ने मृतक मनराखन सिंह के सिर पर लाठी से हमला किया;
- (ii) अभियुक्त क्रमांक 9 (रमेश सिंह) के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुदाली थी; और
- (iii) अभियुक्त क्रमांक 1 (तुकेश सिंह) ने उसके सिर पर हमला किया।

15. अब हम अ.सा.-5 (विशेश्वर सिंह ठाकुर) के साक्ष्य पर आते हैं। उसने 24 मार्च 2001 की घटना का वर्णन किया। उसने कथन किया कि अभियोजन साक्षीगण व अन्य लोग अ.सा.-11 (राजेंद्र सिंह) के मेडिकल स्टोर में बैठे थे। उसी समय, नौ से दस व्यक्ति तलवार, कुदाली, लाठी, छड़ आदि हथियारों से लैस होकर अभियुक्त क्रमांक 8 (तमेश सिंह) के मोटरसाइकिल गैराज की तरफ से दौड़ते हुए आए। अभियुक्त क्रमांक 1 (तुकेश सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 8 (तमेश सिंह) ने मृतक नारायण सिंह पर तलवार और कुदाली से हमला किया। यहाँ तक कि अभियुक्त क्रमांक 9 (रमेश सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 3 (बाबा उर्फ राजेश सिंह) ने मृतक मनराखन सिंह पर तलवार और लाठी से हमला किया।

16. प्रतिपरीक्षण में, उसने स्वीकार किया कि उनका कथन 14 अप्रैल 2001 को विलम्ब से दर्ज किया गया था। उसके प्रतिपरीक्षण में लाया गया लोप निम्नानुसार हैं:

(i) अभियुक्त क्रमांक 1 (तुकेश सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 8 (तमेश सिंह) ने अ.सा.-3 (वीरेन्द्र सिंह) पर हमला करना शुरू कर दिया;

(ii) अभियुक्त क्रमांक 1 (तुकेश सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 8 (तमेश सिंह) ने मृतक नारायण सिंह पर तलवार और कुदाली से हमला किया;

(iii) अभियुक्त क्रमांक 9 (रमेश सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 3 (बाबा उर्फ राजेश सिंह) ने मृतक मनराखन सिंह पर तलवार और लाठी से हमला किया; तथा

(iv) अभियुक्त क्रमांक 6 (पप्पू सिंह), अभियुक्त क्रमांक 4 (अनिल सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 7 (मंगल दास) ने अ.सा.-3 (वीरेन्द्र सिंह) पर हमला किया।

पुनः, इस साक्षी के अनुसार, अभियुक्तों को उनकी पहचान स्थापित करने के लिए न्यायालय में नहीं दिखाया गया था। अ.सा.-4 ने यह भी कथन किया कि वह न्यायालय में उपस्थित सभी अभियुक्तों को जानता है और उनमें से दो के नाम भी बताता है।

17. प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया कि उसका कथन 14 अप्रैल 2001 को दर्ज किया गया था। यद्यपि वह उपलब्ध था, फिर भी उसका कथन दर्ज करने में बीस दिवस का विलम्ब हुआ। प्रतिपरीक्षण में, साक्षी ने स्वीकार किया कि मृतक मनराखन सिंह पर हमले करने में, केवल अभियुक्त क्रमांक 3 (बाबा उर्फ राजेश सिंह) व अभियुक्त क्रमांक 9 (रमेश सिंह) ही शामिल थे।

18. अब हम अ.सा.-8 (राकेश सिंह ठाकुर) के साक्ष्य पर आते हैं। मुख्य परीक्षण में उनका कथन निम्नानुसार है:

“5. दोपहर करीब 12.30 बजे नारायण सिंह जलसो से आए। करीब 1.45 बजे वीरेन्द्र सिंह, विशेश्वर सिंह और उनके बड़े भाई भी कोरबा से दुकान पर आ गए। कुछ देर बाद राजेंद्र सिंह और कन्हैया सिंह भी जलसो से मेडिकल स्टोर पर आ गए।

6. बुजुर्गों के निर्देश पर, सुखनंदन सिंह, राजेंद्र सिंह और कन्हैया पिछली रात हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना मस्तूरी गए। इसके 2-3 मिनट पश्चात, रमेश ट्रैवल्स के कार्यालय की ओर से 9-10 व्यक्ति तलवार, कुदाली, लाठी आदि से लैस होकर आए और वहाँ बैठे लोगों पर 'मारो-मारो' कहते हुए हमला कर दिया।

7. इस पर अभियुक्त तमेश सिंह और तुकेश सिंह ने मेरे बड़े मामा नारायण सिंह, जो पान खाकर लौट रहे थे, पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे उनकी गर्दन पर चोटें आईं। वीरेंद्र सिंह ने जब उन्हें बचाने की कोशिश की, तो मंगलदास, पप्पू, तमेश, तुकेश ने उन पर तलवार, लाठी आदि से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर चोटें आईं और उनके होंठ और नाक कट गए। रमेश और बाबा उर्फ राजेश ने राजेंद्र सिंह के ससुर मनराखन सिंह पर तलवार और लाठी से हमला करना शुरू कर दिया। बाबा ने तलवार से और रमेश ने लाठी से हमला किया।

8. इसके बाद, बसंत और बाबा सिंह ने मेरे नाना शिवराज सिंह पर हमला किया और जब मैं उन्हें बचाने के लिए बाहर आया, तो बाबा, बसंत और तमेश सिंह ने मुझ पर हमला कर दिया। उन्होंने तलवार और लाठी से मुझ पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप मेरे सिर, पीठ और कंधे पर चोटें आईं।

इस साक्षी के प्रकरण में भी, उसने न्यायालय में अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तों की पहचान नहीं की है। प्रतिपरीक्षण में, साक्षी ने केवल इतना कथन किया कि वह अभियुक्त क्रमांक 8(तमेश सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 9(रमेश सिंह) को, जो न्यायालय में उपस्थित थे व अन्य अभियुक्तों को भी जानता है। यद्यपि, उसने अभियुक्तों की व्यक्तिगत रूप से पहचान नहीं की। अ.सा.-8 (राकेश सिंह ठाकुर) ने पुलिस में रिपोर्ट लगभग रात 8 बजे दर्ज कराई।

19. उसके प्रतिपरीक्षण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण लोप अभिलेख पर लाया गया:

(i) उसने 23 मार्च 2001 की रात को तीन अभियुक्तों का नाम बताया था;

(ii) अभियुक्त क्रमांक 1 (तुकेश सिंह) और अभियुक्त क्रमांक 8 (तमेश सिंह) ने अ.सा.-3 (वीरेंद्र सिंह) पर हमला किया; तथा

(iii) अभियुक्त क्रमांक 8 (तमेश सिंह) ने अ.सा.-1 (शिवराज सिंह) पर हमला किया।

20. जहाँ तक अ.सा.-11 (राजेंद्र सिंह) का संबंध है, वह चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उसने केवल 23 मार्च 2001 को घटी घटना का वर्णन किया है। इस साक्षी का साक्ष्य सारभूत नहीं है। उसका परीक्षण मूलतः यह साबित करने के लिए कराया गया है कि 16 मार्च 2001 तथा 23 मार्च 2001 तक क्या हुआ था। पुनः, उसने न्यायालय में अभियुक्त की पहचान भी नहीं की है।

21. ऐसे प्रकरण में जहाँ चक्षुदर्शी साक्षी हों, एक स्थिति यह हो सकती है कि चक्षुदर्शी साक्षी घटना से पूर्व अभियुक्त को जानता था। चक्षुदर्शी साक्षियों को कटघरे में बैठे अभियुक्त की पहचान उसी अभियुक्त के रूप में करनी होगी जिसे उन्होंने अपराध कारित करते देखा था। एक अन्य स्थिति यह हो सकती है कि चक्षुदर्शी साक्षी घटना से पूर्व अभियुक्त को नहीं जानता था। सामान्य स्थिति में, दूसरी स्थिति के प्रकरण में, पहचान कार्यवाही करवाना आवश्यक होता है। यदि यह नहीं करवाया जाता है और यदि चक्षुदर्शी साक्षी का साक्ष्य कुछ वर्षों के बाद लेखबद्ध किया जाता है, तो न्यायालय में चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा ऐसे अभियुक्त की पहचान भेद्य हो जाती है। न्यायालय में बैठे अभियुक्त की चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा पहचान अति महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि कोई चक्षुदर्शी साक्षी अपने न्यायालयीन कथन में कथन करता है कि "उसने क ख व ग को X की हत्या करते देखा था और वह क, ख व ग को जानता था"। मुख्य परीक्षण में ऐसा कथन उसे अभियुक्त से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। चक्षुदर्शी साक्षी को न्यायालय में अभियुक्तों क, ख व ग की पहचान करनी होगी। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अभियोजन यह स्थापित नहीं कर सकता कि अभियुक्त वही व्यक्ति हैं जिनका नाम चक्षुदर्शी साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में लिया है। यदि कोई चक्षुदर्शी साक्षी यह कथन करता है कि "उसने एक अभियुक्त को मृतक पर तलवार से हमला करते, दूसरे अभियुक्त को मृतक पर डंडे से हमला करते और एक अन्य अभियुक्त को मृतक को पकड़े हुए देखा था ताकि अन्य अभियुक्त मृतक पर हमला कर सकें।" ऐसे प्रकरण में, चक्षुदर्शी साक्षी को खुले न्यायालय में उस अभियुक्त की पहचान करनी होगी जिसने, उसके अनुसार, अभियुक्त पर डंडे से हमला किया था, जिसने मृतक पर तलवार से हमला किया था और जो मृतक को पकड़े हुए था। जब तक चक्षुदर्शी साक्षियों ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों को पहचान न लिया हो, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि चक्षुदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का अपराध साबित हो गया है।

22. वर्तमान प्रकरण में, दोनों चक्षुदर्शी साक्षियों के मामले में, प्रतिपरीक्षण में, यह बात अभिलेख पर लाई गई है कि उनके द्वारा नामित अभियुक्त न्यायालय में बैठे थे। यद्यपि, उन्होंने किसी विशेष अभियुक्त की पहचान उसकी भूमिका बताकर नहीं की है। किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने न्यायालय में किसी भी अभियुक्त की विशेष रूप से पहचान नहीं की है।

23. इस प्रकरण में, चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा न्यायालय में अभियुक्त की पहचान उस अभियुक्त के रूप में करने में असफल होना, जिसे उन्होंने अपराध कारित करते देखा था, अभियोजन के प्रकरण के लिए नुकसानदायक है। चक्षुदर्शी साक्षियों से प्रतिपरीक्षण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण लोप अभिलेख पर लाया गया है। ये लोप इतनी सुसंगत हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 162 के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत विरोधाभास उत्पन्न करती हैं। अपीलार्थीगण/अभियुक्तों, जमानत पर रिहा होने से पूर्व, न्यूनतम नौ से दस वर्ष का मूल दण्ड भुगत चुके थे। वे लगभग बारह वर्षों से जमानत पर हैं।

24. उपरोक्त विश्लेषण पर विचार करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुँचना संभव नहीं है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तों का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुआ है। जैसा कि पूर्व कथन किया गया है, चक्षुदर्शी साक्षियों के कथन भिन्न हैं।

25. इसलिए, हमारा यह सुविचारित अभिमत है कि अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ है।

26. अतः, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिनांक 10 सितम्बर 2010 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश, एतद्द्वारा, अभिखण्डित एवं अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तों को उनके विरुद्ध अधिरोपित अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है। चूँकि अपीलार्थीगण/अभियुक्त जमानत पर हैं, उनके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं। तदनुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

प्रकरण का परिणाम: अपील स्वीकृत।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।